

## कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

दिनांक :- 28.6.22

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022-23/ 3230

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
बस्सी, जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District - Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में गैर वन भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 2144 दिनांक 02.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपने पत्रांक Comp/Jaipur/SP-01 दिनांक 24.06.2022 द्वारा प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक वन भूमि क्षेत्रफल में संशोधन कर गैर वन भूमि हेतु जिला कलक्टर महोदय को आवेदन हेतु लिखा है। किन्तु संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी EDS में लगे अन्य आक्षेपों के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इस कार्यालय द्वारा आपको स्पष्ट रूप से प्रकरण में पायी गई कमियों की पूर्तियों हेतु लिखा जा रहा है। किन्तु आप द्वारा हर बार समस्त बिन्दुओं की पालना नहीं भिजवाई जाकर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। पुनः लेख है कि पार्ट-1 में पाई गई कमियों के लिए, जिसके संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा लिखा गया था, की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट-2 की पूर्ति की जा सके।

1. प्रकरण में प्रस्तुत Form A में Part 1 के point no B के B-1, list of proposals submitted in Past, information में सूचना सही नहीं है। यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों का विवरण देना था।
2. Point no D के (a), में "existing road", दर्शाया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत करें।
3. Point I में 1 के (a) and (b) wildlife clearance application के संबंध में प्रस्तावित रोड जममवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेन्सिटिव जोन में दर्शायी गई है। प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (3.5568 है०) व सेगमेन्ट 4 में वन भूमि में आने वाली सडक की लम्बाई 51.00मी के स्थान पर 118मी संशोधित कर wildlife clearance के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें।
4. Point K में 1 के (a), copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the Forest land proposed to be diverted, में सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
5. Point L के बिन्दु 5 and 6 में बिन्दुवार चाहे गये दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं है। अतः प्रकरण में चाहे गये अनुसार दस्तावेज संलग्न करें।
6. प्रकरण में आप द्वारा परिवेश पोर्टल पर संशोधित प्रस्ताव अपलोड किये गये हैं। तदानुसार मूल प्रस्ताव (हार्ड कॉपी) 1 प्रति में सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित मय हस्ताक्षर शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

भवदीय  
(सागर पवार, IFS)  
उप वन संरक्षक  
वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022-23/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक  
वन्यजीव जयपुर